

क्रमांक / सी.एस / 2020-21 / 1504

जगदलपुर, दिनांक 27 / 08 / 2020

// संशोधित विज्ञापन //

कार्यालय, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक महारानी अस्पताल जगदलपुर मे जिला खनिज न्यास मद से अनुमोदित पद-डायलिसिस टेक्निसियन, स्टाफ नर्स, वार्ड आया, वार्ड बाय एवं स्वीपर पर संविदा नियुक्ति हेतु कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक / सीएस / 2020-21 / 866 जगदलपुर दिनांक 22 / 6 / 2020 जारी कर इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उपरोक्तानुसार विज्ञापन के नियम क्रमांक 2 एवं चयन समिति के निर्णय अनुसार जारी विज्ञापन मे निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं-

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछडा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				
			मुक्त	महिला	विकलांग	मु.सं.	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	मु.सं.	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	मु.सं.	योग	मुक्त	महिला	विकलांग	मु.सं.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	<u>Daiysis Technitian</u>	<u>01</u>	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	<u>Staff Nurse</u>	<u>28</u>	4	1	-	1	6	3	1	-	-	4	1	-	-	-	1	8	5	2	2	17
3	<u>Ward Aya (Female)</u>	<u>7</u>	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4
4	<u>Ward Boy (Male)</u>	<u>06</u>	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	4
5	<u>Sweeper</u>	<u>09</u>	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	1	6
	<u>योग</u>	<u>51</u>	10	1	-	1	12	6	1	-	-	7	1	-	-	-	1	15	8	5	3	31

पूर्व मे जारी रिक्त पदों पर भर्ती के लिये जारी रोस्टर मे उपरोक्तानुसार श्रेणीवार महिला उम्मीदवार को 30 प्रतिशत आरक्षण, भूतपूर्व सैनिक को 10 प्रतिशत आरक्षण एवं निःशक्तता से बाधित व्यक्तियों के लिये नियमानुसार रोस्टर के बिंदु क्रमांक 1 व 17 पर आरक्षण देते हुये विज्ञापन मे संशोधन किया जाता है, विज्ञापन की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी। साथ ही निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग मे आरक्षण का अवसर देते हुये संबंधित वर्ग के इच्छुक उम्मीदवार दिनांक 5/09/2020 तक सायं 5 बजे तक कार्यालयीन अवधि मे (पूर्व मे जारी विज्ञापन क्रमांक / सीएस / 2020-21 / 866 जगदलपुर दिनांक 22 / 6 / 2020 मे चाहे गये आवश्यक दस्तावेजों के साथ) कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला अस्पताल जगदलपुर मे तय समय सीमा तक अपना आवेदन कार्यालय मे जमा कर सकते है। साथ ही आवेदक को निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग के आरक्षण से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से आवेदन मे संलग्न करनी होगी। यदि किसी उम्मीदवार ने पूर्व मे संबंधित वर्ग (निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिक वर्ग) अंतर्गत

आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रेषित किया है (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मोहर सहित भुतपूर्व सैनिक / निःशक्तता प्रमाण पत्र के साथ), उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। निःशक्तता से बाधित उम्मीदवारों के आरक्षण के संबंध में छ.ग. शासन के प.क. एफ 20-4/2014/आ.प्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 27/9/2014 के नियम लागू होंगे, जिसमें दृष्टि बाधित एवं अस्थि बाधित निःशक्तता अंतर्गत केवल ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कि कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो, साथ ही उक्त श्रेणी में 100 प्रतिशत निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे।

उपरोक्त के अलावा विज्ञापन के शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी। निःशक्तजन एवं भुतपूर्व सैनिक वर्ग आरक्षण अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के अलावा अन्य सभी आवेदकों को जो कि पूर्व में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट एवं ई मेल के माध्यम से निर्धारित तिथि तक आवेदन कार्यालय में प्रेषित कर चुके हैं, उन्हें उपरोक्त के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन या दस्तावेज प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार विज्ञापन में संशोधन की सूचना वेबसाइट bastar.gov.in एवं कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला अस्पताल जगदलपुर के सूचना पटल पर अवलोकनार्थ चस्पा की गयी है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
महारानी अस्पताल, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)
जगदलपुर, दिनांक ३१ / ८ / 2020

क्रमांक/सी एस/2020-21/ 1504
प्रतिलिपि:-

1. जिला सूचना अधिकारी जिला बस्तर को सूचित कर अनुरोध है कि संशोधित विज्ञापन को बस्तर जिले के शासकीय वेबसाइट bastar.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करे।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला अस्पताल-जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.)